

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 26, गुरुवार, शके 1947- जुलाई 17, 2025 Asadha 26, Thursday, Saka 1947- July 17, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

आज्ञा

जयपुर, जुलाई 17, 2025

जी.एस.आर.38 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 11ग का संशोधन.- राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 के नियम 11ग में विद्यमान अभिव्यक्ति "13:10", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "16:10", प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.1(10) डीओपी/ए-II/86]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, July 17, 2025

G.S.R.38 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Secretariat Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 11C.- In rule 11C of the Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954, for the existing expression “13:10”, wherever occurring, the expression “16:10” shall be substituted.

[No. F. 1(10)DOP/A-II/86]

**By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.